The Himachal Pradesh Government Employees Recruitment and Conditions Act, 2024

Act No. 23 of 2024

DISCLAIMER: This document is being furnished to you for your information by PRS Legislative Research (PRS). The contents of this document have been obtained from sources PRS believes to be reliable. These contents have not been independently verified, and PRS makes no representation or warranty as to the accuracy, completeness or correctness. In some cases the Principal Act and/or Amendment Act may not be available. Principal Acts may or may not include subsequent amendments. For authoritative text, please contact the relevant state department concerned or refer to the latest government publication or the gazette notification. Any person using this material should take their own professional and legal advice before acting on any information contained in this document. PRS or any persons connected with it do not accept any liability arising from the use of this document. PRS or any persons connected with it shall not be in any way responsible for any loss, damage, or distress to any person on account of any action taken or not taken on the basis of this document.

विधि विभाग

अधिसूचना

शिमला–2, 7 फरवरी, 2025

संख्याः एल.एल.आर.–डी.(6)–36/2024–लेज.——हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल ने भारत के संविधान के अनुच्छेद 200 के अधीन प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए हिमाचल प्रदेश सरकारी कर्मचारियों की भर्ती और सेवा की शर्तें विधेयक, 2024 (2024 का विधेयक संख्यांक 39) को दिनांक 07–02–2025 को अनुमोदित कर दिया है तथा अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अधीन, विधेयक के अंग्रेजी पाठ को राजपत्र, हिमाचल प्रदेश में प्रकाशित करने के लिए प्राधिकृत कर दिया है। अतः उपरोक्त विधेयक को वर्ष 2025 के अधिनियम संख्यांक 23 के रूप में अंग्रेजी प्राधिकृत पाठ सहित राजपत्र (ई–गजट) हिमाचल प्रदेश में प्रकाशित किया जाता है।

आदेश द्वारा,

शरद कुमार लगवाल,
प्रधान सचिव (विधि)।

हिमाचल प्रदेश सरकारी कर्मचारियों की भर्ती और सेवा की शर्तें अधिनियम, 2024

धाराओं का क्रम

धारा:

1. संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ।
2. परिभाषाएं।
3. भर्ती की पद्धति।
4. सेवा की शर्तें।
5. संविदा आधार पर कार्यरत व्यक्तियों का नियमितिकरण।
6. सेवा प्रसुविधाओं का विस्तार।
7. नियमों और आदेशों आदि की विधिमान्यता।
8. नियमों के स्तम्भ 10 में संशोधन।
9. अध्यारोही प्रभाव।
10. नियम बनाने की शक्ति।
11. कठिनाइयों को दूर करने की शक्ति।
12. निरसन और व्यावृत्तियां।

2025 का अधिनियम संख्यांक 23

हिमाचल प्रदेश सरकारी कर्मचारियों की भर्ती और सेवा की शर्तें अधिनियम, 2024

(माननीय राज्यपाल महोदय द्वारा 7 फरवरी, 2025 को यथाअनुमोदित)

राज्य के मामलों से सम्बन्धित लोक सेवाओं में व्यक्तियों की भर्ती और सेवा की शर्तें तथा उससे सम्बन्धित या उसके आनुषंगिक विषयों को विनियमित करने के लिए **अधिनियम**।

संविधान का अनुच्छेद 309 राज्य के मामलों से सम्बन्धित लोक सेवाओं और पदों पर नियुक्त व्यक्तियों की भर्ती और सेवा की शर्तों को विनियमित करने के लिए विधि बनाने का उपबन्ध करता है;

संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक के अधीन प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए बनाए गए भर्ती और प्रोन्नति नियमों में संविदा के आधार पर नियुक्तियां भी सम्मिलित की गई हैं;

भर्ती और प्रोन्नति नियमों में संविदा नियुक्तियों के आमेलन के मद्दे से नियुक्तियां लोक सेवाओं के लिए नियुक्तियों के रूप में समझी जा रही हैं;

चूंकि संविदा आधार पर कार्यरत व्यक्तियों की सेवा शर्तें पक्षकारों के मध्य हस्ताक्षरित करार के अनुसार विनियमित की जाती है अतः सरकारी कर्मचारियों को लागू विभिन्न सेवा नियम उन्हें लागू नहीं होते और इस प्रकार संविदा नियुक्तिधारी लोक सेवा का भाग नहीं है;

लोक सेवाओं हेतु नियमित आधार पर नियुक्त व्यक्तियों और संविदा पर नियुक्त व्यक्तियों के हितों का सामंजस्य बैठाना अनिवार्य हो गया है;

अतः भर्ती और प्रोन्नति नियमों से संविदा पर नियुक्तियों को अपवर्जित करना समीचीन हो गया है।

भारत गणराज्य के पचहत्तरवें वर्ष में हिमाचल प्रदेश विधान सभा द्वारा निम्नलिखित रूप में अधिनियमित होः—

1. **संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ.**——(1) इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम हिमाचल प्रदेश सरकारी कर्मचारियों की भर्ती और सेवा की शर्तें अधिनियम, 2024 है।

(2) यह अधिनियम ऐसी तारीख को प्रवृत्त होगा, जो राज्य सरकार राजपत्र (ई—गजट), हिमाचल प्रदेश में अधिसूचना द्वारा नियत करे।

2. **परिभाषाएं.**——इस अधिनियम में, जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो,—

(क) ''सक्षम प्राधिकारी'' से, ऐसा प्राधिकारी, जैसा कि विहित किया जाए, अभिप्रेत है;

(ख) ''विभाग'' से, हिमाचल प्रदेश सरकार का कोई विभाग अभिप्रेत है;

(ग) ''सरकार'' या ''राज्य सरकार'' से, हिमाचल प्रदेश सरकार अभिप्रेत है;

(घ) ''सरकारी कर्मचारी'' से, ऐसा व्यक्ति अभिप्रेत है, जो नियमित आधार पर लोक सेवाओं के लिए नियुक्त किया गया है;

(ङ) ''अधिसूचना'' से, राजपत्र (ई—गजट), हिमाचल प्रदेश में प्रकाशित अधिसूचना, अभिप्रेत है;

(च) ''विहित'' से, इस अधिनियम के अधीन बनाए गए नियमों द्वारा विहित अभिप्रेत है; और

(छ) ''राज्य'' से, हिमाचल प्रदेश राज्य अभिप्रेत है।

3. **भर्ती की पद्धति.**——राज्य में लोक सेवाओं की सभी भर्तियां सेवा के नियमितिकरण द्वारा या प्रोन्नति द्वारा या ऐसी रीति में की जाएंगी, जैसी विहित की जाए।

4. **सेवा की शर्तें.**——सरकारी कर्मचारी की सेवा की शर्तें ऐसी होंगी, जैसी विहित की जाएं।

5. **संविदा आधार पर कार्यरत व्यक्तियों का नियमितिकरण.**——तत्समय प्रवृत्त किसी विधि, नियम, अधिसूचना, सरकारी आदेश आदि में अन्तर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, संविदा आधार पर या दैनिक मजदूरी आधार पर नियुक्त व्यक्तियों की सेवा के निबंधनों और शर्तों को पूर्ण करने के अध्यधीन, ऐसी रीति में नियमित किया जाएगा, जैसी विहित की जाए।

6. **सेवा प्रसुविधाओं का विस्तार.**——(1) राज्य में यथा लागू विभिन्न केन्द्रीय सिविल सेवाएं नियमों के अधीन उपलब्ध सेवा प्रसुविधा, हिमाचल प्रदेश सिविल सेवाएं नियम और अन्य सेवा प्रसुविधा यथा वरिष्ठता, वेतनवृद्धि, प्रोन्नति आदि केवल नियमित आधार पर नियुक्त कर्मचारियों को ही लागू होंगे।

(2) किसी सरकारी विभाग में कार्यरत कोई व्यक्ति जो इस अधिनियम और तद्धीन बनाए गए नियमों के उपबंधों के अधीन नियमित आधार पर नियुक्त नहीं किया गया है, राज्य में यथा लागू विभिन्न केन्द्रीय सिविल सेवाएं नियमों, के अधीन उपलब्ध सेवा प्रसुविधा, हिमाचल प्रदेश सिविल सेवाएं नियम और अन्य सेवा प्रसुविधाओं यथा वरिष्ठता, वेतनवृद्धि, प्रोन्नति आदि के लिए हकदार नहीं होगाः

परन्तु व्यक्ति अपनी सेवाओं की नियमितिकरण की तारीख से सेवा प्रसुविधाओं का हकदार होगाः

परन्तु यह और कि ऐसे व्यक्ति जिनकी सेवाएं 12 दिसंबर, 2003 के पश्चात् नियमित की गई है, वे भी वैसे ही नियमितिकरण की तारीख से सेवा प्रसुविधाओं के लिए हकदार होंगे जैसे कि उनकी सेवाएं इस अधिनियम के उपबंधों के अधीन नियमित की गई हों;

परन्तु यह और भी कि ऐसे व्यक्तियों को नियमित सेवा के सिवाय पहले से दिए गए अन्य सेवा प्रसुविधा वापस लिए गए समझे जाएंगे।

7. **नियमों और आदेशों की विधिमान्यता.**——इस अधिनियम या तद्धीन बनाए गए नियमों के किसी भी उपबन्ध के अधीन बनाए गए या प्रकाशित नियम, विनियम, जारी आदेश, निदेश या अधिसूचनाएं तथा किया गया न्यायनिर्णयन, जांच या कार्य जो सारतः उनके अनुकूल हो, केवल प्ररूप या किसी त्रुटि के कारण अवैध, शून्य या अविधिमान्य नहीं समझा जाएगा।

8. **नियमों के स्तम्भ 10 में संशोधन.**——12 दिसंबर, 2003 को और से प्रारम्भ होने वाली अवधि के लिए और इस अधिनियम के प्रारम्भ होने की तारीख के अन्त में किसी न्यायालय के निर्णय, डिक्री या आदेश, विधि, नियम, अधिसूचना आदेश आदि में अन्तर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी भारत के संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, अधिसूचित भर्ती और प्रोन्नति नियमों के स्तम्भ संख्या 10 में ''संविदा आधार पर'' या ऐसे समरूप शब्द जिनका वही अर्थ है, शब्द जहां कहीं आते हैं के स्थान पर ''नियमितिकरण द्वारा'' शब्द सदैव प्रतिस्थापित हुए समझे जाएंगे माना यह अधिनियम समस्त तत्त्विक समय पर किया गया थाः

परन्तु नियुक्तियां, यदि कोई संविदा के आधार पर पहले ही की गई है तो उन्हें नियमित किया जाएगा या इस अधिनियम के उपबन्धों के अधीन विनियमित हुआ समझा जाएगा।

9. **अध्यारोही प्रभाव.**——इस अधिनियम के उपबन्ध किसी अन्य विधि, नियम, अधिसूचना आदि, यदि कोई है, में उनमें अन्तर्विष्ट असंगत किसी बात के होते हुए भी प्रभावी होंगे।

10. **नियम बनाने की शक्ति.**——(1) राज्य सरकार राजपत्र (ई–गजट), हिमाचल प्रदेश में प्रकाशित अधिसूचनाओं द्वारा पूर्व प्रकाशन के पश्चात् इस अधिनियम के प्रयोजनों को कार्यान्वित करने के लिए नियम बना सकेगी।

(2) इस धारा के अधीन बनाया गया प्रत्येक नियम बनाये जाने के पश्चात् यथाशक्य–शीघ्र विधान सभा के समक्ष जब वह कुल दस दिन से अन्यून अवधि के लिए सत्र में हो, रखा जायेगा। यह अवधि एक सत्र में अथवा दो या दो से अधिक आनुक्रमिक सत्रों में पूरी हो सकेगी और यदि सत्र के अवसान से पूर्व, जिसमें

यह इस प्रकार रखा गया था यह शीघ्र बाद के सत्र में, विधान सभा नियम में कोई उपान्तरण करती है या विनिश्चय करती है कि नियम नहीं बनाया जाना चाहिए, तो नियम उसके पश्चात् केवल ऐसे उपान्तरित रूप में, यथास्थिति, प्रभावी होगा या निष्प्रभाव हो जाएगा, किन्तु नियम के ऐसे परिवर्तन या निष्प्रभाव होने से उसके अधीन पहले की गई किसी बात की विधिमान्यता पर प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ेगा।

11. **कठिनाइयों को दूर करने की शक्ति.**––(1) यदि इस अधिनियम के उपबन्धों को कार्यान्वित करने में कोई कठिनाई उत्पन्न होती है तो सरकार राजपत्र (ई–गजट) हिमाचल प्रदेश में प्रकाशित साधारण या विशेष आदेश द्वारा ऐसे उपबन्ध कर सकेगी, जो इस अधिनियम के उपबन्धों से असंगत न हो और जो ऐसी कठिनाई को दूर करने के लिए आवश्यक समीचीन प्रतीत होः

परन्तु ऐसा कोई भी आदेश इस अधिनियम के प्रारम्भ होने के दो वर्ष की अवधि के अवसान के पश्चात् नहीं किया जाएगा।

(2) इस धारा के अधीन किया गया प्रत्येक आदेश इसके किए जाने के पश्चात् यथाशीघ्र राज्य विधान सभा के समक्ष रखा जाएगा।

12. **निरसन और व्यावृत्तियां.**–– (1) भारत के संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्ति का प्रयोग करते हुए बनाए गए समस्त नियम या अधिसूचित अधिसूचनाएं जो इस अधिनियम के उपबन्धों के प्रतिकूल है का एतद्द्वारा उनका निरसन किया जाता है।

(2) निरसन की बाबत हिमाचल प्रदेश साधारण खंड अधिनियम, 1968 में अन्तर्विष्ट उपबन्धों पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक के अधीन बनाए गए कोई नियम, विनिश्चय जारी की गई कोई अधिसूचना, नियम, आदेश, नियुक्ति, निर्णय, दिया गया कोई निदेश, अनुमोदन, प्राधिकार, स्वीकृति, किया गया कोई आवेदन, अनुरोध या की गई कोई बात इस विस्तार के सिवाए की कोई उपबन्ध इस अधिनियम के उपबन्धों से असंगत हो सकेगा, प्रवृत्त रहेगा और उसका ऐसा प्रभाव होगा मानो उसे इस अधिनियम के तत्स्थानी उपबन्धों के अधीन किया गया हो।

AUTHORITATIVE ENGLISH TEXT

THE HIMACHAL PRADESH RECRUITMENT AND CONDITIONS OF SERVICE OF GOVERNMENT EMPLOYEES ACT, 2024

ARRANGEMENT OF SECTIONS

Sections:

1. Short title and commencement.
2. Definitions.
3. Method of recruitment.
4. Conditions of service.
5. Regularisation of persons working on contract basis.
6. Extension of service benefits.
7. Validity of rules and orders, etc.
8. Amendment in Column 10 of the rules.
9. Overriding effect.
10. Power to make rules.
11. Power to remove difficulties.
12. Repeal and savings.

Act No. 23 of 2025

THE HIMACHAL PRADESH RECRUITMENT AND CONDITIONS OF SERVICE OF GOVERNMENT EMPLOYEES ACT, 2024

(AS ASSENTED TO BY THE GOVERNOR ON 7TH FEBRUARY, 2025)

AN

ACT

to regulate the recruitment and conditions of service of persons appointed, to public services in connection with the affairs of the State and matters connected therewith or incidental thereto.

WHEREAS, article 309 of the Constitution provides for making law for regulating the recruitment, and conditions of service of persons appointed, to public services and posts in connection with the affairs of the State;

AND WHEREAS, in the recruitment and promotion rules framed in exercise of the powers conferred under the proviso to article 309 of the Constitution, the appointments on contract basis have also been included;

AND WHEREAS, on account of inclusion of contract appointments in the recruitment and promotions rules, these appointments are being treated as appointments to the public services;

AND WHEREAS, since, the service conditions of the persons working on contract basis are regulated as per the agreement signed between the parties, the various service rules applicable to the Government employees, are not applicable to them and as such the contract appointees are not part of public service;

AND WHEREAS, it is necessary to harmonise the interests of the persons appointed on regular basis to the public services and on contract basis;

NOW THEREFORE, it is expedient to exclude the contract appointments from the recruitment and promotion rules.

BE it enacted by the Legislative Assembly of Himachal Pradesh in the Seventy-fifth Year of the Republic of India as follows:—

1. Short title and commencement.—(1) This Act may be called the Himachal Pradesh Recruitment and Conditions of Service of Government Employees Act, 2024.

(2) It shall come into force on such date as the State Government may, by notification in the Rajpatra (e-Gazette), Himachal Pradesh, appoint.

2. Definitions.—In this Act, unless the context otherwise requires,—

(a) "Competent Authority" means an authority, as may be prescribed;

(b) "Department" means any Department of the Government of Himachal Pradesh;

(c) "Government" or "State Government" means the Government of Himachal Pradesh;

(d) "Government employee" means a person appointed to the public services on regular basis;

(e) "notification" means a notification published in the Rajpatra (e-Gazette), Himachal Pradesh;

(f) "prescribed" means prescribed by rules made under this Act; and

(g) "State" means the State of Himachal Pradesh.

3. Method of recruitment.—All recruitments to the public services in the State shall be made by regularisation of services, or by promotion, or in the manner as may be prescribed.

4. Conditions of service.—The conditions of service of a Government employee shall be such, as may be prescribed.

5. Regularisation of persons working on contract basis.—Notwithstanding anything contained in any law, rule, notification, Government order etc. for the time being in force, the services of a person appointed on contract basis or on daily wage basis shall be regularised, in the manner and subject to fulfillment of such terms and conditions, as may be prescribed.

6. Extension of service benefits.—(1) The service benefits available under various Central Civil Services Rules, as applicable in the State, the Himachal Pradesh Civil Services Rules, and other service benefits such as, seniority, increment, promotion, etc. shall be applicable only to the employees appointed on regular basis.

(2) No person working in any Government Department, who has not been appointed as per the provisions of this Act and rules made thereunder on regular basis shall be entitled to service benefits available under the various Central Civil Services Rules, as applicable in the State, the Himachal Pradesh Civil Services Rules and other service benefits such as, seniority, increment, promotion etc.:

Provided that a person shall be entitled for service benefits only from the date of regularisation of his services:

Provided further that a person whose services have been regularised after 12th December, 2003 shall also be entitled to service benefits from the date of regularisation, as if their services have been regularised under the provisions of this Act:

Provided also that the service benefits already extended to the persons for the service other than regular service shall stand withdrawn.

7. Validity of rules and orders, etc.—No rule, regulation, order, direction, or notification made or published and no adjudication, inquiry or act done under any of the provisions of this Act or the rules made thereunder, which is substantially in consonance with the same, shall be deemed to be illegal, void or invalid only by reason of any defect or form.

8. Amendment in Column 10 of the rules.—Notwithstanding anything contained in any judgment, decree or order of any court; law, rule, notification, order, etc., for the period commencing on and from 12th December, 2003 and ending on the date of commencement of this Act, in Column number 10 of the recruitment and promotion rules notified in exercise of powers conferred by proviso to article 309 of the Constitution of India, the words “on contract basis”, or such simlar words conveying the same meaning, wherever occurs, the words “by regularisation” shall be deemed to have always been substituted as if this Act had been in force at all material times:

Provided that the appointments, if any, already made on contract basis will be regularised or deemed to have been regularised under the provisions of this Act.

9. Overriding effect.—The provisions of this Act shall have effect notwithstanding anything inconsistant therewith contained in any other law, rule, notification, etc., if any.

10. Power to make rules.—(1) The State Government may, by notification in the Rajpatra (e-Gazatte), Himachal Pradesh; and after previous publication, make rules for carrying out the purposes of this Act.

(2) Every rule made under this section shall be laid, as soon as may be after it is made, before the Legislative Assembly, while it is in session for a total period of not less than ten days which may be comprised in one session or in two or more successive sessions and if, before the expiry of the session in which it is so laid or the session immediately following, the Assembly makes any modification in the rule or decides that the rules should not be made, the rule shall, thereafter, have effect only in such modified form or be of no effect, as the case may be, so, however, that any such modification or annulment shall be without prejudice to the validity of anything previously done under that rule.

11. Power to remove difficulties.—(1) If any difficulty arises in giving effect to the provisions of this Act, the Government may, by general or special order, published in the Rajpatra (e-Gazette), Himachal Pradesh, make provision, not inconsistent with the provisions of this Act, as appear to it to be necessary or expedient for removing difficulty:

Provided that no such order shall be made under this section after the expiry of a period of two years from the commencement of this Act.

(2) Every order made under this section shall, as soon as may be after it is made, be laid before the State Legislative Assembly.

12. Repeal and savings.—(1) All rules, notifications, etc. made or notified in exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution of India, which are contrary to the provisions of this Act, are hereby repealed.

(2) Without prejudice to the provisions contained in the Himachal Pradesh General Clauses Act, 1968 with respect to repeals, any rule made under the proviso to article 309 of the Constitution, any notification, rule, order, appointment, decision, direction, approval, authorisation, consent, application, request or thing made, issued, given or done except to the extent that a provision may be inconsistent with the provisions of this Act, continue to be in force and shall have effect as if made under the corresponding provisions of this Act.